अध्याय पंचम
शोध निष्कर्ष एवं सुझाव

5.0.प्रस्तावना :-

1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू हो गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों का मूल अधिकार और शिक्षा का प्रावधान रखा गया। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया हैं।

फिर भी ऐसा कौन सा कारण है कि बच्चें प्राथमिक शिक्षा नहीं हो पा रहे हैं। गौर से देखा जाय तो भारत देश में अत्यधिक गरीबी ही जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के भरण–पोषण में भी अपने को कभी–कभी असमर्थ पाता है। गरीब माँ–बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। वे बच्चों से घर का काम लेते हैं। यदि बच्चे खेती पर उनके रोजगार में सहायता न करे तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को दो समय का भोजन भी न मिले। इसीलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं।

उपरोक्त कारण से भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने बच्चों के शिक्षा के लिए विविध योजनाएँ निकाली गई। इसमें भी खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएँ निकाली गई जिसमें मध्याह्न भोजना योजना 1995 में पूरे भारत में में पूरे भारत में लाग़ू किया गया। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के विविध उद्देश्य रखा गया, जिनमें (1) प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि (2) छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोडने की प्रवृत्ति में कमी, (3) निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना (4) छात्रों को पोषण यक्त आहार प्रदान करना, (5) विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक एकता एवं परस्पर

भाई चारे की भावना जागरूक करना, (6) ग्राम्य स्तर पर पूरक रोजगार के तक पूरी करना तथा (7) गरीबी दूर करने के लिए राज्य द्वारा यथा योग्य प्रदत्तों करना। उपरोक्त उद्देश्य की उपलब्धि को देखने के लिए शोधकर्ता ने शोधकार्य किया गया।

5.1.शोध शिर्षक :-

सर्व शिक्षा अभियान की मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों की उपलब्धिः एक अध्ययन।

5.2. अध्ययन का उद्देश्य :-

सर्व शिक्षा अभियान की मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि का अध्ययन करना।

5.3. शोध प्रश्न :-

- प्राथमिक स्कूल में मेनू के आधार पर दोपहर का खाना मिलता है क्या ?
- मध्याह्न भोजन के कारण प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि हो रही है क्या ?
- 'मध्याह्न भोजन' के कारण स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोडने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है क्या ?
- 'मध्याह्न भोजन' के कारण निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है ?
- मध्याह्न भोजन में शामिल सभी बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है क्या ?
- मध्याह्न भोजन के निगरानि में प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसभा, ग्राम पंचायत काम कर रही है क्या ?

- मध्याह्न भोजन में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध हो रहा है क्या?
- अनुसूचित जाति या निम्न जाति के छात्रों को खाना पिरोसने के लिए शिक्षक बोलते है नहीं?
- दोपहर का भोजन लेते समय सभी जाति एवं धर्म के छात्रों में समानता एवं एकता परस्पर भाई–चारे की भावना जागरूकता होती है या नहीं?
- मध्याह्न भोजन में सभी जाति एवं धर्म के छात्रों खाने के लिए आते है या नहीं।
- भारत सरकार या राज्य सरकार के अनुदान को पूरी तरह से उपयोग में लाते है या नहीं?

5.4.शोध प्रविधि :–

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य में वर्णात्मक विधि का प्रयोग करके सर्वे विधि के साथ मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों के उपलब्धि को देखने के लिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों, मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों, मध्याह्न भोजन को बनाने वाले संचालक तथा मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी करने वाले विविध सदस्यों को साक्षात्कार करने के लिए आंशिक संरचित साक्षात्कार/अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

5.5. न्यादर्श चयन की विधि :–

शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श की विधि में सोद्देशीय न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता ने गुजरात राज्य के 26 जिले है। इसमें अमरेली जिले को लिया गया है। जिनमें 11 तहसील में से राजुला तहसील को चुना गया है। इस तहसील के 96 प्राथमिक स्कूलों में से 05 प्राथमिक स्कूलों को चुना गया हैं।

5.6.शोध में प्रयुक्त उपकरण :- (आँकड़ों का संकलन)

आँकड़ें एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। सकल अनुसंधान के लिये उपयुक्त यंत्रों एवं उपकरणों का चयन अत्याधिक महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता द्वारा अपने अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपकरणों का विकास तथा कुशलता पूर्वक प्रयोग किये जाने का अपना महत्व है। अतः नये उपकरण का निर्माण अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। ताकि वे उन्हीं का मापन करे जिसके लिये वे निर्मित किये गये हैं।

5.7. प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया :-

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर प्रदत्तों का विश्लेषण तीन स्तर में किया गया।

4. नामांकन में वृद्धि है या नहीं
5. बच्चों को मेनू के आधार पर पोषणयुक्त आहार मिल रहा है या नहीं।
6. सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को लिंग, सामाजिक भेदभाव के बिना एक स्थान पर भोजन उपलब्ध हो रहा है क्या?

उपरोक्त तीन स्तर में से प्रथम में प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी वार्षिक नामांकन (1995-2009) लिया गया है। दसूरे में आंशिक सरचित साक्षात्कार/ अवलोकन अनुसूची का प्रयोग करके छात्रों का साक्षात्कार किया गया है तीसरे विधान में मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों का साक्षात्कार करके प्रदतो का संकलन किया गया।

5.8.निष्कर्षः-

प्रस्तुत अध्याय में अध्याय चार में किये गये प्रदत्तों का संकलन में शोधकर्ता ने प्राथमिक शाला के मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्र, उनके

अभिभावक, मध्याह्न भोजन के संचालक तथा मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी करने वाले प्राथमिक शाला के प्राचार्य, ग्राम पंचायत के विविध सदस्यों को साक्षात्कार करने के लिए शोधकर्ता ने आंशिक संरचित साक्षात्कार/अवोकन अनुसूची तैयार की गई। इसके आधार पर तीन स्तर किया गया। (1) प्राथमिक स्कूल में नामांकन में वृद्धि को देखना, (2) पोषणयुक्त आहार मिलना, तथा (3) सभी जाति के बिना किसी भेदभाव से एक स्थान पर भोजन लेना। उपरोक्त तीन सतर के आधार पर विश्लेषण किया गया जिसका निष्कर्ष निम्नलिखित है।

1. शोधकर्ता ने पांच प्राथमिक शाला का वार्षिक नामांकन (1995-2009) लिया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछ्ड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन देखा गया है। जिसमें ग्राफ के माध्यम से विश्लेषण किया गया तो यह निष्कर्ष निकला कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में 1995 से लेकर 2009 तक प्रतिवर्ष निरंतर नामांकन में वृद्धि हुई है। लेकिन जब सामान्य वर्ग के वार्षिक नामांकन देखा तो 1995 से लेकर 2009 तक प्रति वर्ष निरंतर कमी आई है। जो एक सामाजिक समानता का विरोधाभास है। इसका यह कारण है कि जब से मध्याह्न भोजन योजना चालू हुई तब से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में प्रतिवर्ष नामांकन में वृद्धि आई है और सामान्य वर्ग के बच्चों में कमी आई है। सामान्य वर्ग आर्थिक एवं सामाजिक दोनों रूप से अच्छी परिस्थिति पर होते है, इसी लिए अपने बच्चों को निजी शाला में प्रवेश दिलाते है।

कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के बच्चों में नामांकन में वृद्धि के लिए उद्देश्य रखा था वह सार्थक एवं सिद्ध मध्याह्न योजना से साबित होता है।

2. शोधकर्ता ने दूसरे स्तर प्राथमिक शाला में पोषण युक्त आहार प्रदान करना। इस विधान के लिए पांच शाला में साक्षात्कार एवं अवलोकन किया गया। इस विधान के लिए शोधकर्ता ने प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों से, मध्याह्न भोजन लेने वालें छात्रों के अभिभावक से योजना के संचालक तथा प्राथमिक शाला के प्राचार्य से साक्षात्कार एवं भोजन का अवलोकन करके उसका विश्लेषण किया गया जो इसका निष्कर्ष इस प्रकार है–साप्ताहिक मेनू के आधार पर भोजन मिल रहा है, लेकिन पोषण युक्त भोजन मिलता है क्या, वह प्रश्नार्थ के रूप में उभरता है।

3. स्तर तीन में प्राथमिक शाला में सभी जाति के बिना किसी भेदभाव से परस्पर भाइचारे की भावना रखकर एक स्थान पर भोजन ग्रहण करना। इसमें शोधकर्ता ने पांच प्राथमिक शाला में जाकर जब बच्चें मध्याह्न भोजन ले रहे थे, तब साक्षात्कार एवं अवलोकन किया गया इसका विश्लेषण किया गया जिसका यह निष्कर्ष निकला कि पांच शाला में अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ खाना परोसने के लिए एवं साथ में बैठने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भेदभाव किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के बच्चों में पहले से ही ऐसी मानसिकता पैदा कर देते है, अपने घर वाले। जैसे इसके साथ नही खेलना चाहिए, इसके साथ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि घर में शाला से आने से पहले प्राथमिक सामाजिक करण अनेक तरह का नकारात्मक मूल्य बच्चों में आते है। इसी लिए शाला में आते है तब अपने आप किसी एक ओर से बैठना दूसरे बच्चों के साथ मिलते–जुलते नही होते है। इस समस्या को सुलझाने का काम को शिक्षक सुधार सकते है पुनःसामाजिकरण कर सकते है। क्योंकि,शिक्षक एक समाज सुधार का काम कर सकता है, बच्चों के मन में नकारात्मक सामाजिक परिवेश को शिक्षक बदल सकते है और सभी बच्चे में समानता ला सकते है तभी जाकर अस्पृश्यता एवं

असमानता की दूरी जो समाज में व्याप्त है, उसे प्राथमिक शाला के माध्यम से बदलाव आ सकता है।

5.9. मध्याह्न भोजन योजना में सुधार के लिए सुझाव

1. मध्याह्न भोजन का संचालन महिलाओं को दिया जाना चाहिए।
2. मध्याह्न भोजन का प्राथमिक शाला में बनना चाहिए।
3. प्राथमिक शाला के आचार्य को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करना चाहिए।
4. प्राथमिक शाला के आचार्य को सप्ताह में एकबार भोजन में उपयोग होने वाला अनाज और अन्य खाद्यसामग्री का निरीक्षण करना चाहिए।
5. मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी करने वाले सदस्यों को प्राथमिक शाला में महिने में एक बार मध्याह्न भोजन के संदर्भ में सभा करनी चाहिए।

5.10. भावि शोध हेतु सुझाव :-

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध का विश्लेषण करके उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार भावि शोध हेतु सुझाव हो सकता हैं :

1. प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने वार्षिक नामांकन को देखा, जिसमे अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ेवर्गो में प्रतिवर्ष वृद्धि आई है। लेकिन इस सामान्य वर्गो के बच्चों के नामांकन सरकारी प्राथमिक शाला में गिरते जा रहा हैं। इसी लिए सामान्य वर्ग के बच्चों के सरकारी प्राथमिक शाला में नामांकन गिरने का कारण क्या है, उसका शोध कर सकते है।

2. शोधकर्ता ने पाँच प्राथमिक शाला का वार्षिक नामांकन लिया गया जिसमे लडकियां की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और लडको की संख्या में निरंतर कमी आ रही है,इसका कौन सा कारण है, उसका अध्ययन कर सकते है।

3. मध्याह्न भोजन के कारण नामांकन में वृद्धि आ गई है, लेकिन इस निष्कर्ष शाला में बच्चों की उपस्थिति की स्थिति क्या है? उसका अध्ययन करना।

4. सरकारी प्राथमिक शाला में सुबह में कितने बच्चें आते है और मध्याह्न भोजन के बाद में कितने बच्चें आते है, इस उपस्थिति की स्थिति का अध्ययन करना।

5. मध्याह्न भोजन के कारण शाला त्यागी की स्थिति का अध्ययन करना।